


दिनांक	आज्ञा पत्र	
10-2-21	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गंभीर नहीं है। फलस्वरूप अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तल ह्ये।</p> <p style="text-align: center;">   भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  पदेन राजस्व अपील अधिकारी  सीकर(कैम्प झुन्डुनुं) </p>	